प्रति,
माननीय सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC),
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली - ११०००३.
ईमेल: diriapolicy-moefcc@gov.in

विषय: ड्राफ्ट EIA अधिसूचना S.O. 4411(E) दिनांक २६ सितंबर २०२५ (स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट देने के संशोधन के लिए) के विरोध में आपत्ति

माननीय महोदय/महोदया,
मैं/हम,_____ भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, २६ सितंबर २०२५ को जारी ड्राफ्ट EIA अधिसूचना S.O. 4411(E) के विरोध में निम्नलिखित कारणों से आपत्ति दर्ज करा रहा हूं/रहे हैं। इस अधिसूचना द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट के बिना स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स (जो कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन पूरी तरह से रेलवे और/या इलेक्ट्रिक वाहनों से करती हैं) को पूर्व पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance - EC) से छूट देने का प्रस्ताव है, जो पर्यावरण संरक्षण और जनहित के विरुद्ध है।

आपत्ति के कारण:
१. पर्यावरणीय खतरे: स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स से धूल प्रदूषण (PM2.5 और PM10), जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। विशेष रूप से, कल्याण तालुका में मोहोने (आंबिवली) स्थित प्रस्तावित अंबुजा सीमेंट यूनिट घनी आबादी के पास है, जहां इसका प्रभाव गंभीर होगा (Central Pollution Control Board - CPCB के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों के अनुसार)।

२. संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत, स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार है (Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India, 1996 SCC)। EIA अधिसूचना २००६ के Para ७(ii) के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में जन भागीदारी (पब्लिक हियरिंग) अनिवार्य है। यह छूट देकर, जनता की भागीदारी से इनकार किया जा रहा है, जो Environment (Protection) Act, 1986 के Section ३ के तहत जारी EIA २००६ का उल्लंघन है।

३. पारदर्शिता की कमी और संभावित पक्षपात: यह अधिसूचना विशिष्ट परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई लगती है, जैसे अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट की मोहोने आंबिवली यूनिट को, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। यह EIA फ्रेमवर्क को कमजोर करता है, जैसे Supreme Court ने Pahal Samiti v. MoEFCC, 2025 में ex-post facto clearances को रद्द किया था।

४. प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन: यह प्रस्ताव Environment (Protection) Act, 1986 (Section ३) और Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 का उल्लंघन करता है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य है। शर्तें जैसे रेल/EV परिवहन, इनकी क्रियान्वयन व्यवस्था न होने से प्रदूषण अनियंत्रित रहेगा (NGT precedents जैसे Satendra Pandey v. MoEFCC)।

५. अपर्याप्त संरक्षण उपाय: EIA २००६ के Schedule के अंतर्गत item ३(b) की subcategory 'B1' या 'B2' के लिए मूल्यांकन आवश्यक है, लेकिन यह छूट eco-sensitive zones में cumulative impacts की अनदेखी करती है, जो सतत विकास के सिद्धांत का उल्लंघन है (Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, 1996 SCC)।

मांगें:
१. ड्राफ्ट अधिसूचना S.O. 4411(E) दिनांक २६ सितंबर २०२५ को तत्काल रद्द करें।
२. मोहोने (आंबिवली), महाराष्ट्र स्थित अंबुजा सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के लिए पूर्ण EIA और पब्लिक हियरिंग अनिवार्य करें।
३. इस अधिसूचना की तैयारी के विवरण (Expert Appraisal Committee - EAC के मिनट्स और स्टेकहोल्डर परामर्श) को RTI Act, 2005 के तहत सार्वजनिक करें।

निष्कर्ष:
पर्यावरण संरक्षण सरकार का कर्तव्य है (संविधान अनुच्छेद ४८A और ५१A(g) के तहत)। यह अधिसूचना जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। हम मांग करते हैं कि ६० दिनों की पब्लिक कमेंट अवधि में इन आपत्तियों पर विचार कर अधिसूचना रद्द करें। अन्यथा, हम National Green Tribunal (NGT) Act, 2010 के Section १४ के तहत NGT में या Supreme Court/High Court में Articles ३२/२२६ के तहत PIL दाखिल करेंगे।

आपका/आपकी,
नाम :
पता:
संपर्क:
तिथि: